विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यो के प्रक्रमवार प्रगति की समीक्षा हेतु प्रपत्र

जिला का नाम –

अंचल का नाम –

शिविर प्रभारी का नाम –

अंचल में कुल शिविरों की संख्या –

निरीक्षण किये गये शिविर का नाम एवं संख्या –

निरीक्षण की तिथि –

शिविर में कुल मौजों	कुल मौजों जिसमें उदघोषणा कर दी गई है।	कुल मौजों की संख्या जिनका प्रपत्र–5 तैयार कर लिया गया है।	कुल मौजे जिसमें सीमांकन की कार्रवाई की गई	किस्तवार की कार्रवाई			किश्तवार के दौरान किये भौतिक सत्यापन			खानापुरी की कार्रवाई			प्रपत्र–6 (खेसरा पंजी) तैयार किया जाना	
				कुल मौजों जिसमें किश्तवार की कार्रवाई प्रारंभ की गई	कुल मौजें जिसमें किश्तवार की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई	अवशेष मौजे जिसमें किश्तवार की कार्रवाई लंबित है	प्रावधानुसार कुल खेतों की सं0 जिनका भौतिक सत्यापन किया जाना है	भौतिक सत्यापन किये गए खेतों की कुल सं0	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित खेतों की कुल सं0	कुल मौजों जिसमें किश्तवार की कार्रवाई प्रारंभ की गई	कुल मौजें जिसमें किश्तवार की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई	अवशेष मौजे जिसमें किश्तवार की कार्रवाई लंबित है	कुल मौजों की संख्या जिनका खेसरा पंजी तैयार कर लिया गया है।	कुल मौजों की संख्या जिनका खेसरा पंजी तैयार किया जा रहा है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1 शिविर में कुल कानूनगो की संख्या–

2 शिविर में कार्यरत कुल अमीनों की संख्या–

3 शिविर में कुल लिपिकों की संख्या–

कुल मौजों की सं0 जिनका प्रपत्र 7 तैयार का वितरित कर दिया गया	प्रपत्र–7 पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण (कानूनगो द्वारा)			कुल मौजों की सं0 जिनके कुल प्राप्त आपति आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया	कुल मौजों की सं0 जिनके आपत्ति निराकरण पश्चात संपूर्ण अभिलेख जाँच हेतु प्राधिकृत जाँच पदा0 को (विश्रांन्ति प्रथम चरण)	प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर पर जाँच की कार्रवाई (विश्रांन्ति प्रथम चरण)			त्रुटि निराकरण हेतु वापस किये गये अभिलेखों की संख्या	कुल मौजों कीसंख्या जिनका प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है।	प्रारूप प्रकाशन के पश्चात आपति आवेदनों की कार्रवाई		
	कुल प्राप्त आपत्तियों की सं0	निष्पादित आवेदनों की सं0	लंबित आवेदनों की सं0			कुल अभिलेखों की संख्या जिस पर संशोधन की कार्रवाई की जानी थी	कुल संशोधित अभिलेखों की संख्या	कुल लंबित अभिलेखों की संख्या			कुल प्राप्त आपत्तियों की संख्या	कुल निष्पादित आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

कुल मौजों की सं0 जिनके कुल प्राप्त आपति आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया	कुल मौजों की सं0 जिनके आपति निराकरण पश्चात संपूर्ण अभिलेख जाँच हेतु प्राधिकृत जाँच पदा0 को भेजा गया (विश्रांन्ति प्रथम चरण)	प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर पर जाँच की कार्रवाई (विश्रान्ति द्वितीय चरण)			प्राधिकृत पदा0 के जाँचोपरांत संशोधन हेतु भेजे गये कुल अभिलेखों पर कार्रवाई			संशोधन हेतु जाँच पदा0 द्वारा वापस किये गये अभिलेखों पर कार्रवाई			प्रारूप अधिकार-- अभिलेख प्रकाशन हेतु भेजे गये मौजों की संख्या	प्रारूप अधिकार– अभिलेख प्रकाशन हेतु भेजे गये मौजों की संख्या
		कुल अभिलेखों की संख्या जिस पर संशोधन की कार्रवाई की जानी थी	कुल संशोधित अभिलेखों की संख्या	कुल लंबित अभिलेखों की संख्या	कुल अभिलेखों की संख्या जिस पर संशोधन की कार्रवाई की जानी थी	कुल संशोधित अभिलेखों की संख्या	कुल लंबित अभिलेखों की संख्या	कुल अभिलेखों की संख्या जिस पर संशोधन की कार्रवाई की जानी थी	कुल संशोधित अभिलेखों की संख्या	कुल लंबित अभिलेखों की संख्या		
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

प्रारूप प्रकाशन के पश्चात आपति आवेदनों की कार्रवाई			कुल मौजों की सं0 जिनके कुल प्राप्त आपति आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया	कुल मौजों की सं0 जिनके आपति निराकरण पश्चात संपूर्ण अभिलेख जाँच हेतु प्राधिकृत जाँच पदा0 को भेजा गया (विश्रांन्ति प्रथम चरण)	प्रारूप अधिकार–अभिलेख प्रकाशन हेतु भेजे गये मौजों की संख्या	प्रारूप अधिकार–अभिलेख प्रकाशन हेतु भेजे गये मौजों की संख्या
कुल प्राप्त आपतियों की संख्या	कुल निष्पादित आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या				
43	44	45	46	47	48	49

शिविर प्रभारी का नाम एवं हस्ताक्षर–

निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

पदनाम–

निरीक्षण की तिथि–

जिला स्तरीय प्रेक्षकों का प्रथम चरण

प्रपत्र–क– जिला बन्दोबस्त कार्यालय की सर्वेक्षण पूर्व गतिविधियों एवं संसाधनों की समीक्षा

भ्रमण की तिथि :–

भ्रमण की तिथि :–

अंचलों की संख्या जिनमें विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ करना है।	विशेष सर्वेक्षण के लिए गठित किए जाने वाले शिविरों की संख्या	क्या विशेष सर्वेक्षण में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने के उपाय किए गए है हाँ या नहीं	क्या जिला बन्दोबस्त कार्यालय में मानचित्रों अभिलेखों इत्यादि के रख–रखाव का उचित प्रबन्ध हे हाँ या नहीं	क्या जिला बन्दोबस्त कार्यालय में कर्मियों के मध्य कार्य विभाजन कर दिया गया है हाँ/नहीं	क्या हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा जिला में कार्यालय खोला गया है. हाँ/नहीं	जिला के कितने सरकारी विभागों द्वारा सरकारी भूमि की विवरणी तैयार कर ली गई है।	जिला में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के संसाधनों की स्थिति			विशेष सर्वेक्षण के लिए उपयोगी उपकरणों का क्रय कर लिया गया है हाँ/नहीं	जिले में अनुपलब्ध मानचित्र एवं खतियान की संख्या	
							ई0टी0एस0 की संख्या	डी0जी0पी0 एस0 की संख्या	कुल सपोटिंग स्टॉफ		अनु0 मानचित्र की संख्या	अनु0 खतियान की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रपत्र ख : जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा

प्रशिक्षण देने के लिए चयन किए गए व्याख्यान कक्षों की संख्या	प्रशिक्षण स्थल/व्याख्यान कक्षों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाएँ हाँ/नहीं					व्याख्यान कक्षों के लिए आवश्यक सुविधाओं का प्रबन्ध हाँ/नहीं				प्रशिक्षण देने के लिए उपलब्ध व्याख्याताओं की कुल संख्या	क्या व्यावहारिक प्रशिक्षण स्थल का चयन एवं आवागमन की व्यवस्था कर ली गई है हाँ/नहीं	क्या प्रत्येक व्याख्यान कक्ष के लिए कक्ष संयोजक (Room Coordinater) का चयन कर लिया गया है।	क्या प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त (ETS/DGPS) इत्यादि उपलब्ध है।	अभ्युक्ति
	बिजली	पानी	प्रसाधन	रैम्प	भोजन की सुविधा	फर्नीचर	प्रोजेक्टर	कम्प्युटर लैपटॉप	नेट इत्यादि व्याख्याताओं की कुल संख्या					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्रपत्र ग : जिला एवं अंचल स्तरीय कार्यालय के साथ समन्वय की समीक्षा

जिला अभिलेखागार में जिले के कुल कितने ग्रामों का खतियान अनुपलब्ध है।	कितने अंचलो द्वारा सरकारी भूमि या अन्य विवरणी तैयार कर ली गई है।	गठित होने वाले सर्वेक्षण शिविरों में आधार भूत बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध है या नहीं	जिला एवं अन्य स्थानों पर हवाई एजेंसी द्वारा लगाए गए पिलर की संख्या		क्या जिला स्तर पर सर्वेक्षण कर्मी एवं अंचल स्तरीय पदाधिकारियों की समन्वय (Coordination) बैठक आयोजित की गई है।	क्या जिला स्तर पर नवनियुक्तकर्मियों के लिए कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।	अभ्युक्ति
			प्राइमरी कन्ट्रोल प्वांइन्ट	सेकेन्डरी कन्ट्रोल प्वांइन्ट			
1	2	3	4	5	6	7	8

जिला स्तरीय प्रेक्षको का द्वितिय भ्रमण

प्रपत्र – क – विशेष सर्वेक्षण का कार्यक्षेत्र एवं जिला बन्दोबस्त कार्यालय के प्रशासनिक स्वरूप की समीक्षा

जिला का नाम :–

प्रभारी पदाधिकारी का नाम एवं सम्पर्क संख्या :–

भ्रमण की तिथि :–

सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय का नाम एवं सम्पर्क संख्या :–

अंचलो की संख्या	ग्रामों की संख्या	कुल ग्राम	अधिसुचित क्षेत्र अन्तर्गत ग्रामों की संख्या	गठित किए जाने वाले शिविरों की संख्या	कुल कितने ग्रामों की उदघोषण की गई है।	जिला में पदास्थापित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी की संख्या		पदास्थापित कानूनगों की संख्या		पदास्थापित अमीन की संख्या		पदास्थापित लिपिक की संख्या		पदास्थापित लिपिक की संख्या	पदास्थापित कम्प्यूटर ऑपरेटर की संख्या		अभ्यूक्ति
कुल	कार्यप्रारम्भ अंचलों की संख्या					निमिमित	संविदा	निमिमित	संविदा	संविदा	विशेष सर्वेक्षण अमीन	निमिमित	संविदा		जिला बन्दोबस्त कार्यालय में	शिविर कार्यालय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

प्रपत्र ख : आधारभूत सुविधाओं एवं आवश्यक अभिलेखों मानचित्रों एवं प्रपत्रों के उपलब्धता की समीक्षा

जिला बन्दोबस्त कार्यालय में कमरों की संख्या	बन्दोबस्त कार्यालय मानचित्रों क रखरखाव एवं जाँच के लिए ग्लास टेबुल है या नहीं हाँ/नहीं	कार्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटरों की संख्या	आधारभूत सुविधाएँ जैसे बिजली नेट इत्यादि उपलब्ध है या नहीं	हवाई सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्रों की संख्या	राज्यस्तर से विशेष सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रपत्र पर्याप्त माग के उपलब्ध कराए गए है या नहीं	हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के कार्यालय के कार्यरत कर्मियों की संख्या	हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के पास जिला के उपलब्ध ETS & DGPS की संख्या	
							ETS	DGPS
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र ग – विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य की समीक्षा

विशेष सर्वेक्षण शिविरों की संख्या जिनमें कार्य प्रारम्भ किया गया है।	सभी शिविरों द्वारा कितने ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने हेतु ग्राम सभा की कार्रवाई पुर्ण कर ली गई है।	सभी शिविरों द्वारा प्राप्त कुल स्वघोषणा की संस्था	जिले में कुल कितने ग्रामों का प्रपत्र 5 खतियानी विवरणी तैयार कर ली गई है।	ग्रामें की संख्या जिनका प्रपत्र 5 खतियान की अनूपलब्धता के कारण तैयार किया जाना संभव नहीं है।	हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा जिले में कुल कितने स्थानो कों Mounment ation अन्तर्गत पिलर लगाने के लिए चिन्हित किया गया हैं	सड़क, नदी के मध्य पड़ने वाले जिसिमाना को अनुकुल स्थान पर स्थापित कर उनका Coordinate प्राप्त कर लिया गया है या नहीं	विशेष सर्वेक्षण प्रपत्र 1,2, एवं 3, एवं 4 को सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जा रहा है या नहीं हाँ या नहीं	विशेष सर्वेक्षण शिविर द्वारा आयोजित ग्राम सभा में अंचल इत्यादि की उपस्थिति हो रही या नहीं	अभ्यूक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

जिला स्तरीय प्रक्षकों का तृतीय भ्रमण

प्रपत्र–क किस्तवार एवं खानापुरी कार्यो की समीक्षा

जिला का नाम :–

भ्रमण की तिथि :–

ग्रामो की संख्या जिनमें त्रिसिमाना को चिन्हित करने का कार्य पुर्ण कर लिया गया है।	किस्तवार पूर्ण ग्रामों की संख्या	ग्रामों की संख्या जिनमें खानापुरी का कार्य पूर्ण हो चुका है।	खानापुरी पर्चा एवं एल0पी0एम0 विवरण पुर्ण ग्रामों की संख्या	किस्तवार प्रक्रिया में अंतिम रूप के लगाए गए पिलरों की कुल संख्या	कितने ग्रामों का पपत्र 6 संधारण का कार्य पूर्ण हो चुका है।	क्या याद्दाश्त् को सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी / कानुनगों अनुमोदित किया गया है हाँ / नहीं	अभ्यूक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र ख : अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के पूर्व किए गए सुनवाई कार्य दी समीक्षा

सुनवाई का कार्य कितने ग्रामों में प्रारम्भ किया गया	सुनवाई के लिए प्राप्त कुल आपत्तियों की संख्या	कानूनगों को रैयती सुनवाई के लिए उपलब्ध कराए गए वादो की कुल संख्या	सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को सरकारी भूमि की सुनवाई के लिए उपलब्ध कराए गए कुल वादों की संख्या	कानूनगों द्वारा निष्पादित वादों की संख्या			सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा निष्पादित वादों की संख्या			ग्रामों की सख्या जिनके के अधिकार अभिलेख का प्रारूप र्पकाशन किया गया है।	ग्रामों की संख्या जिनमें प्रारूप प्रकाशन के विरूद्ध दावा आक्षेप प्राप्त करने के लिए सूचना निर्गत की गई है।
				गत् सप्ताह तक निष्पादन वादों की संख्या	वर्त्तमान सप्ताह में निष्पादित	कुल वादों की संख्या	गत सप्ताह तक	वर्त्तमान सप्ताह में	कुल निष्पादित वादों की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

जिला स्तरीय प्रेक्षकों का चतुर्थ भ्रमण

जिला का नाम – अंचल का नाम – शिविर प्रभारी का नाम –

अंचल में कुल शिविरों की संख्या – निरीक्षण किये गये शिविर का नाम एवं संख्या –

निरीक्षण की तिथि –

शिविर में कुल मौजों की सं0	कुल मौजों जिसमें उद्घोषणा कर दी गई है।	कुल मौजों की संख्या जिनका प्रपत्र–5 तैयार कर लिया गया है।	कुल मौजे जिसमें सीमांकन की कार्रवाई की गई	किस्तवार की कार्रवाई			किश्तवार के दौरान किये भौतिक सत्यापन			खानापुरी की कार्रवाई			प्रपत्र–6 (खेसरा पंजी) तैयार किया जाना	
				कुल मौजों जिसमें किश्तवार की कार्रवाई प्रारंभ की गई	कुल मौजें जिसमें किश्तवार की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई	अवशेष मौजे जिसमें किश्तवार की कार्रवाई लंबित है	प्रावधानुसार कुल खेतों की सं0 जिनका भौतिक सत्यापन किया जाना है	भौतिक सत्यापन किये गए खेतों की कुल सं0	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित खेतों की कुल सं0	कुल मौजे जिसमें खानापुरी की कार्रवाई प्रारंभ की गई	कुल मौजें जिसमें खानापुरी की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई	अवशेष मौजे जिसमें खानापुरी की कार्रवाई लंबित है	कुल मौजों की संख्या जिनका खेसरा पंजी तैयार कर लिया गया है।	कुल मौजों की संख्या जिनका खेसरा पंजी तैयार किया जा रहा है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1 शिविर में कुल कानूनगो की संख्या–

2 शिविर में कार्यरत कुल अमीनों की संख्या–

3 शिविर में कुल लिपिकों की संख्या–

कुल मौजों की सं0 जिनका प्रपत्र 7 तैयार का वितरित कर दिया गया	प्रपत्र–7 पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण (कानूनगो द्वारा)			कुल मौजों की सं0 जिनके कुल प्राप्त आपति आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया	कुल मौजों की सं0 जिनके आपत्ति निराकरण पश्चात संपूर्ण अभिलेख जाँच हेतु प्राधिकृत जाँच पदा0 को (विश्रान्ति प्रथम चरण)	प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर पर जाँच की कार्रवाई (विश्रान्ति प्रथम चरण)			त्रुटि निराकरण हेतु वापस किये गये अभिलेखों की संख्या	कुल मौजों की संख्या जिनका प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है।	प्रारूप प्रकाशन के पश्चात आपति आवेदनों की कार्रवाई		
	कुल प्राप्त आपत्तियों की सं0	निष्पादित आवेदनों की सं0	लंबित आवेदनों की सं0			कुल अभिलेखों की संख्या जिस पर संशोधन की कार्रवाई की जानी थी	कुल संशोधित अभिलेखों की संख्या	कुल लंबित अभिलेखों की संख्या			कुल प्राप्त आपतियों की संख्या	कुल निष्पादित आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

कुल मौजों की सं0 जिनके कुल प्राप्त आपति आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया	कुल मौजों की सं0 जिनके आपति निराकरण पश्चात संपूर्ण अभिलेख जाँच हेतु प्राधिकृत जाँच पदा0 को भेजा गया (विश्रान्ति प्रथम चरण)	प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर पर जाँच की कार्रवाई (विश्रान्ति द्वितीय चरण)			प्राधिकृत पदा0 के जाँचोपरांत संशोधन हेतु भेजे गये कुल अभिलेखों पर कार्रवाई			संशोधन हेतु जाँच पदा0 द्वारा वापस किये गये अभिलेखों पर कार्रवाई			प्रारूप अधिकार–अभिलेख प्रकाशन हेतु भेजे गये मौजों की संख्या	प्रारूप अधिकार–अभिलेख प्रकाशन हेतु भेजे गये मौजों की संख्या
		कुल अभिलेखों की संख्या जिस पर संशोधन की कार्रवाई की जानी थी	कुल संशोधित अभिलेखों की संख्या	कुल लंबित अभिलेखों की संख्या	कुल अभिलेखों की संख्या जिस पर संशोधन की कार्रवाई की जानी थी	कुल संशोधित अभिलेखों की संख्या	कुल लंबित अभिलेखों की संख्या	कुल अभिलेखों की सं0 जिनमें संशोधन की कार्रवाई की जानी है	कुल अभिलेखों की संख्या जिसमें संशोधन की कार्रवाई कर दी गई	लंबित अभिलेखों की सं0		
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

प्रारूप प्रकाशन के पश्चात आपति आवेदनों की कार्रवाई			कुल मौजों की सं0 जिनके कुल प्राप्त आपति आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया	कुल मौजों की सं0 जिनके आपति निराकरण पश्चात संपूर्ण अभिलेख जाँच हेतु प्राधिकृत जाँच पदा0 को भेजा गया (विश्रांन्ति द्वितीय चरण)	प्रारूप अधिकार–अभिलेख प्रकाशन हेतु भेजे गये मौजों की संख्या	प्रारूप अधिकार–अभिलेख प्रकाशन हेतु भेजे गये मौजों की संख्या
कुल प्राप्त आपतियों की संख्या	कुल निष्पादित आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या				
43	44	45	46	47	48	49

शिविर स्तरीय प्रेक्षकों का प्रपत्र प्रमाण

जिला का नाम –

प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त का नाम –

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालयका नाम) –

निरीक्षण की तिथि–

बंदोबस्त कार्यालय में अंतर्गत कुल शिविरों की संख्या	स्थापना संबंधी विवरणी								आधारमूत सुविधाओं की उपलब्धता		कार्यालय प्रबंधन			
	अन्य स0ब0पदा0 की सं0	कानूनगो की सं0	विशेष सर्वेक्षण स0ब0पदा0 की सं0	संविदा अमीन की सं0	विशेष सर्वेक्षण अमीनों की सं0	लिपिकों की सं0	डाटा इंट्री ऑपरेटरों की सं0	कार्यालय परिचारियों की सं0	कुल कमरों की सं0	कुल कम्प्यूटरों की सं0	रोकड़ पंजी अद्यतन संधारित है अथवा नहीं	आवंटन पंजी संधारित है अथवा नहीं	उपस्थिति पंजी संधारित है अथवा नहीं	भ्र पं संध है अ न
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1

शिविर स्तरीय प्रेक्षकों का द्वितीय भ्रमण

जिला का नाम –

अंचल का नाम –

शिविर प्रभारी का नाम –

शिविरों में कुल ग्रामों की संख्या –

निरीक्षण किये गये शिविर का नाम एवं संख्या –

निरीक्षण की तिथि –

क्र0 सं0	थाना सं0/ मौजा का नाम	विशेष सर्वेक्षण मानचित्र अनुसार कुल खेतों की सख्या	किस्तवार			किस्तवार किये जाने योग्य अवशेष खेतों की संख्या	कुल निर्माण किए गए खेसरों की संख्या	खानापुरी			खानापुरी किये जाने योग्य अवशेष खेसरों की संख्या	मौजावार तैयार प्रपत्र– 6 (खेसरा पंजी) के अनुसार कुल रयैतों की संख्या	तैयार प्रपत्र–6 से भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में डाटा इन्ट्री की कार्रवाई			
			किस्तवार किए गए खेतों की संख्या													
			गत तिथि तक किस्तवार खेतो की सं0	प्रतिवेदन की तिथि तक किस्तवार किये खेतों की सं0	कुल किस्तवार किये गये खेतो की सं0			गत तिथि तक खानापुरी किये गए खेसरों की संख्या	प्रतिवेदन की तिथि तक खानापुरी में किये गए खेसरों की संख्या	कुल खानापुरी किये गये खेसरों की सं0			गत तिथि तक प्रपत्र–6 से डाटा इन्ट्री किये गये कुल रैयतों की संख्या	प्रतिवेदन की तिथि तक प्रपत्र–6 से डाटा इन्ट्री किये गये कुल रैयतों की संख्या	कुल डाटा इन्ट्री किये गये रयैतों की संख्या	डाटा इन्ट्री किये जाने योग्य अवशेष रैयतो की संख्या

निरीक्षी पदाधिकारी का नाम –

पदनाम –

शिविर स्तरीय प्रेक्षको का तृतीय भ्रमण

जिला का नाम –

अंचल में कुल शिविरों की संख्या –

निरीक्षण की तिथि–

अंचल का नाम –

निरीक्षण किये गये शिविर का नाम एवं संख्या –

कानूनगो का नाम –

शिविर प्रभारी का नाम –

कानूनगो का नाम	थाना सं0/ मौजा का नाम	किश्तवार के दौरान की गई मानचित्र की जॉच				खानापुरी के दौरान की गई मानचित्र की जॉच				प्रपत्र–6 (खेसरा पंजी) को तैयार करने के दौरान यादास्त पंजी पर आदेष पारित किया जाना			प्राप्त दावा/आपत्ति का निष्पादन			प्रारूप प्रकाशन की स्थिति
		कुल खेतों की संख्या	कुल खेतों के 25 % खेतों की संख्या	प्रतिवेदन की तिथि तक सत्यापित खेतों की संख्या	अवशेष खेतों की सं0	खानापुरी हेतु कुल खेसरों की संख्या	कुल खेसरा का 25 % खेसरों की संख्या	प्रतिवेदन की तिथि तक सत्यापित खेसरों की सं0	अवशेष खेसरों की सं0	कुल खेसरों की सं0	प्रतिवेदन की तिथि तक यादास्त पंजी में आदेशित खेसरों की सं0	आदेश हेतु अवशेष खेसरों की सं0	वितरित प्रपत्र–7 के विरूद्ध प्राप्त कुल दावा/आपत्ति की संख्या	प्रतिवेदन की तिथि तक दावा/आपत्ति की संख्या	अवशेष दावा/आपत्तियों की संख्या	

निरीक्षी पदाधिकारी का नाम –

पदनाम –

शिविर स्तरीय प्रेक्षकों का चतुर्थ भ्रमण

जिला का नाम –

अंचल का नाम –

शिविर प्रभारी का नाम –

अंचल में कुल शिविरों की संख्या –

निरीक्षण किये गये शिविर का नाम एवं संख्या –

निरीक्षण की तिथि –

शिविर में कुल मौजों की सं0	कुल मौजों जिसमें उद्घोषणा कर दी गई है।	कुल मौजों की संख्या जिनका प्रपत्र–5 तैयार कर लिया गया है।	कुल मौजे जिसमें सीमांकन की कार्रवाई की गई	किस्तवार की कार्रवाई			किश्तवार के दौरान किये भौतिक सत्यापन			खानापुरी की कार्रवाई			प्रपत्र–6 (खेसरा पंजी) तैयार किया जाना	
				कुल मौजों जिसमें किश्तवार की कार्रवाई प्रारंभ की गई	कुल मौजें जिसमें किश्तवार की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई	अवशेष मौजे जिसमें किश्तवार की कार्रवाई लंबित है	प्रावधानुसार कुल खेतों की सं0 जिनका भौतिक सत्यापन किया जाना है	भौतिक सत्यापन किये गए खेतों की कुल सं0	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित खेतों की कुल सं0	कुल मौजे जिसमें खानापुरी की कार्रवाई प्रारंभ की गई	कुल मौजें जिसमें खानापुरी की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई	अवशेष मौजे जिसमें खानापुरी की कार्रवाई लंबित है	कुल मौजों की संख्या जिनका खेसरा पंजी तैयार कर लिया गया है।	कुल मौजों की संख्या जिनका खेसरा पंजी तैयार किया जा रहा है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1 शिविर में कुल कानूनगो की संख्या–

2 शिविर में कार्यरत कुल अमीनों की संख्या–

3 शिविर में कुल लिपिकों की संख्या–

कुल मौजों की सं0 जिनका प्रपत्र 7 तैयार का वितरित कर दिया गया	प्रपत्र–7 पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण (कानूनगो द्वारा)			कुल मौजों की सं0 जिनके कुल प्राप्त आपति आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया	कुल मौजों की सं0 जिनके आपत्ति निराकरण पश्चात संपूर्ण अभिलेख जाँच हेतु प्राधिकृत जाँच पदा0 को (विश्रांन्ति प्रथम चरण)	प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर पर जाँच की कार्रवाई (विश्रांन्ति प्रथम चरण)			त्रुटि निराकरण हेतु वापस किये गये अभिलेखों की संख्या	कुल मौजों की संख्या जिनका प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है।	प्रारूप प्रकाशन के पश्चात आपति आवेदनों की कार्रवाई		
	कुल प्राप्त आपत्तियों की सं0	निष्पादित आवेदनों की सं0	लंबित आवेदनों की सं0			कुल अभिलेखों की संख्या जिस पर संशोधन की कार्रवाई की जानी थी	कुल संशोधित अभिलेखों की संख्या	कुल लंबित अभिलेखों की संख्या			कुल प्राप्त आपतियों की संख्या	कुल निष्पादित आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

कुल मौजों की सं0 जिनके कुल प्राप्त आपति आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया	कुल मौजों की सं0 जिनके आपति निराकरण पश्चात संपूर्ण अभिलेख जाँच हेतु प्राधिकृत जाँच पदा0 को भेजा गया (विश्रांन्ति प्रथम चरण)	प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर पर जाँच की कार्रवाई (विश्रांन्ति द्वितीय चरण)			प्राधिकृत पदा0 के जाँचोपरांत संशोधन हेतु भेजे गये कुल अभिलेखों पर कार्रवाई			संशोधन हेतु जाँच पदा0 द्वारा वापस किये गये अभिलेखों पर कार्रवाई			प्रारूप अधिकार–अभिलेख प्रकाशन हेतु भेजे गये मौजों की संख्या	प्रारूप अधिकार–अभिलेख प्रकाशन हेतु भेजे गये मौजों की संख्या
		कुल अभिलेखों की संख्या जिस पर संशोधन की कार्रवाई की जानी थी	कुल संशोधित अभिलेखों की संख्या	कुल लंबित अभिलेखों की संख्या	कुल अभिलेखों की संख्या जिस पर संशोधन की कार्रवाई की जानी थी	कुल संशोधित अभिलेखों की संख्या	कुल लंबित अभिलेखों की संख्या	कुल अभिलेखों की सं0 जिनमें संशोधन की कार्रवाई की जानी है	कुल अभिलेखों की संख्या जिसमें संशोधन की कार्रवाई कर दी गई	लंबित अभिलेखों की सं0		
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

प्रारूप प्रकाशन के पश्चात आपति आवेदनों की कार्रवाई			कुल मौजों की सं0 जिनके कुल प्राप्त आपति आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया	कुल मौजों की सं0 जिनके आपति निराकरण पश्चात संपूर्ण अभिलेख जाँच हेतु प्राधिकृत जाँच पदा0 को भेजा गया (विश्रान्ति द्वितीय चरण)	प्रारूप अधिकार–अभिलेख प्रकाशन हेतु भेजे गये मौजों की संख्या	प्रारूप अधिकार–अभिलेख प्रकाशन हेतु भेजे गये मौजों की संख्या
कुल प्राप्त आपतियों की संख्या	कुल निष्पादित आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या				
43	44	45	46	47	48	49

18. सर्वेक्षण संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ

1. **ब्लू प्रिंट नक्शा** – पूर्व सर्वे अर्थात् कैडेस्ट्रल सर्वे के मूल नक्शा की प्रतिलिपि को कहा जाता है, जो हल्के नीला रंग से रेखांकित होता है यह Working Map होता है।
2. **सी0एस0 मैप** – कैडेस्ट्रल सर्वे के नक्शा को सी0एस0 मैप कहा जाता है।
3. **आ0एस0 मैप** – रिविजनल सर्वे का नक्शा, जहाँ रिविजनल सर्वे हो चुका है को आ0एस0 मैप कहा जाता है।
4. **खतियान** – सर्वे में दर्ज भू–खण्डों का ब्यौरा, जिसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, भू–धारक का नाम, रकबा, किस्म तथा अन्य आवश्यक विवरणी दर्ज रहती है।
5. **खाता संख्या** – प्रत्येक रैयत के भू–खण्डों को ब्यौरा सहित समेकित रूप से इन्द्राज कर एक धारक संख्या यानि होल्डिंग संख्या में दर्शाया जाता हैं।
6. **खेसरा** – प्रत्येक भूखंड (Plot) जो कि खतियान एवं नक्शा में अंकित रहता है, तथा जिसके बारे में संख्या, रकबा, किस्म आदि ब्यौरा खतियान में दर्ज रहता है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि खेसरा से अभिप्रेत है मानचित्र के अनुसार क्रमानुसार संख्यांकित भू–खण्डों की, दखलकारों, रकबा तथा भू–खण्डवार वर्गीकरण दर्शानेवाली सूची।
7. **तेरिज** – पूर्व के सर्वे या हाल सर्वे के खतियान का संक्षिप्त रूप को कहते हैं। इसमें खाताधारी का नाम, कुल खेसरा एवं कुल रकबा आदि का वर्णन रहता है।
8. **नवैयत** – जमीन का हक और प्रकार, जैसे रैयती, सेराह–यमन आदि।
9. **किस्तवार** – सरजमीं पर पाये जाने वाले प्रत्येक भू–खण्ड का नक्शा रकबा के अनुसार बनाना या कृषि के अनुसार भूमि का परिमापन तथा भू–खण्डकरण।
10. **खानापुरी** – भू–सर्वे करने के समय पंजियों में भू–खंडों के बारे में विस्तृत ब्यौरा भरने या दर्ज करने की प्रक्रिया को कहते हैं। खानापुरी से अभिप्रेत है खतियान के स्तम्भों तथा रैयत का नाम, खेसरा, दखल इत्यादि का सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यान्वयनों के प्रारंभिक अभिलेख लेखन चरण में भरा जाना।
11. **सरहद** – किसी ग्राम का सीमांकन रेखा (Boundary Line)
12. **बटा नम्बर** – खानापुरी करते समय किसी भूखंड (Plot) का नम्बर देना छूट जाता है, तो उस ग्राम का अंतिम नम्बर के ऊपर जिस Plot के बाद नम्बर देना छूट जाता है, उसी Plot को लिखा जाता है।
13. **एकल खाता** – एक ही रैयत के नाम से खाता दर्ज हो।
14. **संयुक्त खाता** – एक से अधिक व्यक्तियों के नाम से खाता दर्ज हो। मुख्यतः रैयती खाता तीन प्रकार के होते हैं:–

    A. कब्जा बारी खाता
    B. अंशधारी खाता
    C. मिश्रित खाता

15. **जरीब** – जमीन का पैमाइश करने में उपयोग होने वाले जंजीर जो कि 100 कड़ी का होता है।

16. अधिकार अभिलेख – सर्वे में जो अधिकार अभिलेख (Record of Rights) बनाया जाता है। इसे खतियान भी कहते हैं। इसमें काश्तकारों का अधिकार प्रदर्शित होता है।

17. **सैरात** – जमींदार के राजस्व संग्रह हेतु विभिन्न उपाय या साधन जैसे जलकर, जलकर, मेला इत्यादि।

18. **बकाश्त** – ऐसी जमीन जो मालिक की जोत में है और जिरात, कामत में दर्ज नहीं हो। बकाश्त जमीन मालिक द्वारा सीधे अन्य साधनों द्वारा जो में रहता है।

19. **जिरात** – मालिक की जो की भूमि जिसमें काफी पूर्व (बिहार–बंगाल सर्वे के पूर्व) से मालिक के पास रही हो।

20. खेत – किसी भूमि का वह टुकड़ा या अन्य सटे टुकड़े जो एक ही किस्म का है तथा एक जमाबंदी के अंदर एक या अधिक रैयत के पास एक ही मालिक के अधीन एक ही नवैयत या हकीकत में हो, खेत कहलायेगा।

21. **छींट एराजी** – अगर एक गांव के अंदर दूसरे गांव की जमीन का टुकड़ा या क्षेत्र हो तो उसे छींट एराजी कहलाता है।

22. **नई परती** – वह परती जमीन जो तीन वर्ष से कम समय से परती या खाली रही हो।

23. **पुरानी परती** – तीन साल से अधिक अवधि तक परती या खाली रहने वाली जमीन को कहा जाता है।

24. धनहर फसल – तीन श्रेणी में दर्ज होते हैं, A. धनहर I B. धनहर II C. धनहर III

25. भीठ फसल – जिसमें दो श्रेणी दर्ज होते हैं, A. भीठ I B. भीठ II इसमें प्रायः रबी एवं भदई फसल आते है।

26. जमींदारी व्यवस्था – ब्रिटिश सरकार के अधीन एक निश्चित राशि या शुल्क पर जमींदारों को बड़ा भू–भाग का क्षेत्र बंदोबस्त करता था। यह शुल्क या राशि प्रति वर्ष देय होता था। पुनः जमींदार अपने श्रेत्राधिकार की भूमि रैयतों को जोत आबाद करने हेतु देता था तथा उसके एवज में लगान या अनाज के रूप में शुल्क वसूलता था।

27. मुकाबला – तुलना।

28. रदीफ – व्यवस्थित करना।

29. सफाई – स्वच्छ प्रति तैयार करना।

30. तरमीम – शुद्धिकरण आदेश का अनुपालन।

31. तरतीब – अभिलेखों का व्यवस्थापन, रैयतों के नामों के अनुसार खतियान को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना।

18. सर्वेक्षण संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ

1. **ब्लू प्रिंट नक्शा** – पूर्व सर्वे अर्थात् कैडेस्ट्रल सर्वे के मूल नक्शा की प्रतिलिपि को कहा जाता है, जो हल्के नीला रंग से रेखांकित होता है यह Working Map होता है।
2. **सी0एस0 मैप** – कैडेस्ट्रल सर्वे के नक्शा को सी0एस0 मैप कहा जाता है।
3. **आ0एस0 मैप** – रिविजनल सर्वे का नक्शा, जहाँ रिविजनल सर्वे हो चुका है को आ0एस0 मैप कहा जाता है।
4. **खतियान** – सर्वे में दर्ज भू–खण्डों का ब्यौरा, जिसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, भू–धारक का नाम, रकबा, किस्म तथा अन्य आवश्यक विवरणी दर्ज रहती है।
5. **खाता संख्या** – प्रत्येक रैयत के भू–खण्डों को ब्यौरा सहित समेकित रूप से इन्द्राज कर एक धारक संख्या यानि होल्डिंग संख्या में दर्शाया जाता हैं।
6. **खेसरा** – प्रत्येक भूखंड (Plot) जो कि खतियान एवं नक्शा में अंकित रहता है, तथा जिसके बारे में संख्या, रकबा, किस्म आदि ब्यौरा खतियान में दर्ज रहता है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि खेसरा से अभिप्रेत है मानचित्र के अनुसार क्रमानुसार संख्यांकित भू–खण्डों की, दखलकारों, रकबा तथा भू–खण्डवार वर्गीकरण दर्शानेवाली सूची।
7. **तेरिज** – पूर्व के सर्वे या हाल सर्वे के खतियान का संक्षिप्त रूप को कहते हैं। इसमें खाताधारी का नाम, कुल खेसरा एवं कुल रकबा आदि का वर्णन रहता है।
8. **नवैयत** – जमीन का हक और प्रकार, जैसे रैयती, सेराह–यमन आदि।
9. **किस्तवार** – सरजमीं पर पाये जाने वाले प्रत्येक भू–खण्ड का नक्शा रकबा के अनुसार बनाना या कृषि के अनुसार भूमि का परिमापन तथा भू–खण्डकरण।
10. **खानापुरी** – भू–सर्वे करने के समय पंजियों में भू–खंडों के बारे में विस्तृत ब्यौरा भरने या दर्ज करने की प्रक्रिया को कहते हैं। खानापुरी से अभिप्रेत है खतियान के स्तम्भों तथा रैयत का नाम, खेसरा, दखल इत्यादि का सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यान्वयनों के प्रारंभिक अभिलेख लेखन चरण में भरा जाना।
11. **सरहद** – किसी ग्राम का सीमांकन रेखा (Boundary Line)
12. **बटा नम्बर** – खानापुरी करते समय किसी भूखंड (Plot) का नम्बर देना छूट जाता है, तो उस ग्राम का अंतिम नम्बर के ऊपर जिस Plot के बाद नम्बर देना छूट जाता है, उसी Plot को लिखा जाता है।
13. **एकल खाता** – एक ही रैयत के नाम से खाता दर्ज हो।
14. **संयुक्त खाता** – एक से अधिक व्यक्तियों के नाम से खाता दर्ज हो। मुख्यतः रैयती खाता तीन प्रकार के होते हैं:–
    A. कब्जा बारी खाता
    B. अंशधारी खाता
    C. मिश्रित खाता
15. **जरीब** – जमीन का पैमाइश करने में उपयोग होने वाले जंजीर जो कि 100 कड़ी का होता है।

16. अधिकार अभिलेख – सर्वे में जो अधिकार अभिलेख (Record of Rights) बनाया जाता है। इसे खतियान भी कहते हैं। इसमें काश्तकारों का अधिकार प्रदर्शित होता है।

17. सैरात – जमींदार के राजस्व संग्रह हेतु विभिन्न उपाय या साधन जैसे जलकर, जलकर, मेला इत्यादि।

18. बकाश्त – ऐसी जमीन जो मालिक की जोत में है और जिरात, कामत में दर्ज नहीं हो। बकाश्त जमीन मालिक द्वारा सीधे अन्य साधनों द्वारा जो में रहता है।

19. जिरात – मालिक की जो की भूमि जिसमें काफी पूर्व (बिहार–बंगाल सर्वे के पूर्व) से मालिक के पास रही हो।

20. खेत – किसी भूमि का वह टुकड़ा या अन्य सटे टुकड़े जो एक ही किस्म का है तथा एक जमाबंदी के अंदर एक या अधिक रैयत के पास एक ही मालिक के अधीन एक ही नवैयत या हकीकत में हो, खेत कहलायेगा।

21. छींट एराजी – अगर एक गांव के अंदर दूसरे गांव की जमीन का टुकड़ा या क्षेत्र हो तो उसे छींट एराजी कहलाता है।

22. नई परती – वह परती जमीन जो तीन वर्ष से कम समय से परती या खाली रही हो।

23. पुरानी परती – तीन साल से अधिक अवधि तक परती या खाली रहने वाली जमीन को कहा जाता है।

24. धनहर फसल – तीन श्रेणी में दर्ज होते हैं, A. धनहर I B. धनहर II C. धनहर III

25. भीठ फसल – जिसमें दो श्रेणी दर्ज होते हैं, A. भीठ I B. भीठ II इसमें प्रायः रबी एवं भदई फसल आते है।

26. जमींदारी व्यवस्था – ब्रिटिश सरकार के अधीन एक निश्चित राशि या शुल्क पर जमींदारों को बड़ा भू–भाग का क्षेत्र बंदोबस्त करता था। यह शुल्क या राशि प्रति वर्ष देय होता था। पुनः जमींदार अपने श्रेत्राधिकार की भूमि रैयतों को जोत आबाद करने हेतु देता था तथा उसके एवज में लगान या अनाज के रूप में शुल्क वसूलता था।

27. मुकाबला – तुलना।

28. रदीफ – व्यवस्थित करना।

29. सफाई – स्वच्छ प्रति तैयार करना।

30. तरमीम – शुद्धिकरण आदेश का अनुपालन।

31. तरतीब – अभिलेखों का व्यवस्थापन, रैयतों के नामों के अनुसार खतियान को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना।